उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग–5
संख्या:–1579/अड़तीस–5–2013
लखनऊ: दिनॉक 08 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि जनपदों में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से अवमुक्त किये जाने की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर पेयजल योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु धनराशि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को सीधे अवमुक्त की जायेगी।

2– कार्यदायी संस्था द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से धनराशि प्राप्त होने के विलम्बतम 07 दिन के अन्दर स्वीकृत योजना के सापेक्ष समस्त धनराशि सम्बन्धित जनपद इकाई के खाते में अनिवार्य रूप से हस्तान्तरित किया जायेगा तथा पत्र की प्रतिलिपि एवं सूचना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन एवं सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को भेजी जायेगी।

3– राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही से शासन को भी समय–समय पर अवगत कराया जायेगा। सभी धनराशि के हस्तांतरण का विवरण और आच्छादित योजनाओं का पूर्ण विवरण भी सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं जनपद पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अनिवार्यरूप से भेजा जायेगा।

राकेश कुमार ओझा
सचिव।

संख्या: 1579 (1)/अड़तीस–5–13, तद्‌दिनॉक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
2. महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई , जवाहर भवन, लखनऊ,उत्तर प्रदेश।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बॉदा ।
12. महाप्रबन्धक, झॉसी डिवीजन जल संस्थान झॉसी।
13. समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ), उत्तर प्रदेश शासन।
14. नियोजन अनुभाग–4 / ग्राम्य विकास अनुभाग–3 ।
15. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–2,3/वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2।
16. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(signature)
(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।

D:\2 Joshi\2013\SO (SK)\UO.doc